न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **52/2019**
GCMS NO. : **2019/00084**

–: वादीगण:– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. नेमाराम पुत्र बगदाराम
2. छोटूलाल पुत्र बगदाराम
3. बाजूदेवी पुत्री बगदाराम
4. बाबूड़ी पत्नी बगदाराम

जातियान– जाट,
निवासीगण– बस्सी,
आ0कालू, तहसील– जैतारण
जिला– पाली(राज0)

1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956.

तारीख रजू:.07/03/2019

उपस्थित:– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकार पैरोकार राज।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 27/12/2021**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भम राजस्व अधिनियम 1956. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा बस्सी पटवार हल्का आनन्दपुर कालू द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली के स्थित है जिसक विवरण निम्नानुसार है :– खसरा संख्या 1428 रकबा 12–18 बीघा किस्म– बारानी अव्वल, खसरा संख्या 1430 रकबा 11–06 बीघा, खसरा संख्या 1432 रकबा 13–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि में वादीगण का 1/2 में से 1/2 वां यानि कुल का 1/4 हिस्सा है। इसी माफिक वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। खसरा नम्बर 376 रकबा 06–09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 518/1569 रकबा 08–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा 02 कुल रकबा 15–02 उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि में वादीगण का 122 वां हिस्सा है। इसी माफिक वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहें है। खसरा नम्बर 1431 रकबा 12–08 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण का 1/2वां हिस्सा है। इसी माफिक वादी काबिज होकर काश्त कर रहें। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित खसरान् नम्बर की भूमि के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। जिसकी चालू जमाबन्दी व अन्य पूर्ववर्ती जमाबन्दीया इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त भूमि के नाम से जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जायेगा। उपरोक्त वर्णित खसरान नम्बरान की भूमि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा व ससुर माधुराम पुत्र हरदीन जी के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी, तत्पश्चात उनका देहान्त होने पर उक्त भूमि जरिये नामान्तरणकरण के पटवार हल्का आनन्दपुर कालू द्वितीय तहसील जैतारण जिला– पाली के जरिये वादीगण के पिता व ससुर के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कि जानी थी। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादीगण के पिता व ससुर का सही नाम बगदाराम की बजाय रामस्वरूप नाम की गलत प्रविष्टि कर दी व उसी के आधार पर चौसाला जमाबन्दी मे भी बगदाराम की बजाय रामस्वरूप नाम का अंकन कर दिया, जो गलत है, वादीगण के पिता व ससुर का वास्तविक नाम बगदाराम पुत्र माधुराम है। वादीगण के पिता व ससुर के पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चुनाव परिचय पत्र सभी में वादीगण के पिता व ससुर का नाम बगदाराम पुत्र श्री माधुराम दर्ज है। लेकिन विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में रामस्वरूप के नाम का अंकन होने से वादीगण को भारी परेशानिया उठानी पड़ रही है। इस बाबत यह वादपत्र पेश है। वादीगण के पिता व ससुर बगदाराम पुत्र माधुराम का स्वर्गवास 01.02.2019 को हो चुका है। जिनके देहान्त के बाद वादीगण ने हल्का पटवारी से वादीगण के नाम इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरणकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया लेकिन हल्का पटवारी द्वार वादीगण को अवगत कराया गया कि इस विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में सही नाम बगदाराम के नाम की वजाय गलत नाम रामस्वरूप दर्ज है। जिसे न्यायालय मे कानूनी कार्यवाही कर आप सुधरावे ऐसा दिनांक 20.02.2019 को हल्का पटवारी द्वारा वादीगण को अवगत कराया गया जिस पर वादीगण ने सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड प्राप्त किया। इस प्रकार से वादीगण की इस विवादित खसरान नम्बरान की भूमि में वादीगण के पिता व ससुर के सही नाम बगदाराम पुत्र माधुराम के नाम का अंकन पूर्व मे दर्ज गलत नाम रामस्वरुप पुत्र माधुराम के स्थान पर वादीगण दर्ज करवाने, ऐसी घोषणा करवाने व रेकर्ड दुरुस्ती करवाने के वादीगण अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी के सादर प्रस्तुत है। वादीगण के पिता व ससुर न अदालत श्रीमान के समक्ष अपने नाम की दुरुस्ती हेतु पूर्व में राजस्व वाद संख्या 275/2015 पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 27.06.2015 को राजस्व लोक अदालत के केम्प में मजमा–ऐ–आम में जानकारी हासिल कर करते हुये सही नाम बगदाराम पुत्र माधुराम किये जाने का निर्णय पारित किया था। जिसकी प्रति इस वाद पत्र के साथ पेश है। उस दोराने इस वादपत्र में वर्णित विवादित खसरा नम्बरान की भूमि को सहवन से पूर्ववर्ती वाद में शामिल नही किया जाने से उक्त गलत प्रविष्टि यथावत रह गई थी। तथा उसके बाद बगदाराम जी का देहान्त हो गया था। जिस पर वादीगण को मालूमात होने पर यह वादपत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का सादर प्रस्तुत है। वादीगण ने अपने पिता व ससुर के नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रतिवादी व हल्का पटवारी से पूर्व में भी निवेदन किया था। तब उन्होंने दिनांक 20.02.2019 को ऐसी दुरुस्ती करने से इन्कार कर दिया है। जिस पर यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जिसके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन यह वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देना डिस्पेन्सविद कर यह वादपत्र अदालत श्रीमान कि अनुमति से पेश है। इस बाबत धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनाक 20.02.2019 को प्रतिवादी व हल्का पटवारी द्वारा वादीगण के पिता व ससुर के नाम की दुरूस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम बस्सी पटवार हल्का आनन्दपुर कालू द्वितीय तहसील जैतारण जिला–पाली में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में वादपत्र प्रस्तुत है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण की ओर रिपोर्ट पेश की गई जो सा.मि. है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./21/615 दिनांक 25.02.2021 में कथन किया कि प्रार्थीगण अनुतोष प्राप्त करनें हेतु साक्ष्यों सबूतों के आधार पर स्वयं सिद्ध करें।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :–

1. वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा बस्सी पटवार हल्का आनन्दपुर कालू द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा संख्या 1428 रकबा 12–18 बीघा, खसरा संख्या 1430 रकबा 11–06 बीघा, खसरा संख्या 1432 रकबा 13–02 बीघा, खसरा नम्बर 376 रकबा 06–09 बीघा, खसरा नम्बर 518/1569 रकबा 08–13 बीघा, खसरा संख्या 1431 रकबा 12–08 बीघा की कृषि भूमि में वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता एवं वादीगण संख्या 04 के पति बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन भू अभिलेख में वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता एवं वादीगण संख्या 04 के पति का त्रुटिपूर्ण नाम रामस्वरूप पुत्र माधा सहवन से दर्ज हो गया, जो वर्तमान में भी जारी है, वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता एवं वादीगण संख्या 04 के पति का सही एवं वास्तविक नाम बगदाराम पुत्र माधाराम जाति– जाट है। अतः वादीगण जरिये घोषणात्मक डिक्री भू–अभिलेख में अपना सही एवं वास्तविक नाम दर्ज करवानें के अधिकारी हैं।

2. तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि वादीगण वादपत्र को स्वयं सिद्ध करें।

3. प्रदर्श–1ए बगदाराम का परिवार राशनकार्ड, प्रदर्श–2ए वादी संख्या 04 का भामाशाह कार्ड, प्रदर्श–3ए बगदाराम का आधार कार्ड, प्रदर्श–4ए ... मृत्यु प्रमाणपत्र, में बगदाराम पुत्र माधाराम निवासी आनन्दपुर कालू ... वादग्रस्त आराजी के जमाबन्दी प्रदर्श–5 से प्रदर्श–19 में ... हिस्सा 1/2 अंकित है। प्रदर्श–20 राजस्व वाद संख्या 275/2015 ...राम बनाम तहसीलदार जैतारण निर्णय दिनांक 27.06.2015 की प्रमाणित प्रति ... अनुसार ग्राम आनन्दपुर कालू चक प्रथम तहसील जैतारण के खसरा संख्या 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1319 में बतौर खातेदार दर्ज प्रविष्टि रामस्वरूप पुत्र माधा कौम जाट निवासी आनन्दपुर कालू को त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि मानते हुये इनके स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम बगदाराम पुत्र माधाराम कौम जाट निवासी–आनन्दपुर कालू दर्ज करते हुये वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया गया।

4. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी एवं न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय राजस्व वाद संख्या 275/2015 बगदाराम बनाम तहसीलदार जैतारण निर्णय दिनांक 27.06.2015 से यह स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज रामस्वरूप पुत्र माधा एवं बगदाराम पुत्र माधाराम कौम जाट निवासी आ0कालू वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम रामस्वरूप पुत्र माधा न होकर बगदाराम पुत्र माधाराम है। प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू–अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा बस्सी पटवार हल्का आनन्दपुर कालू द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा संख्या 1428 रकबा 12–18 बीघा, खसरा संख्या 1430 रकबा 11–06 बीघा, खसरा संख्या 1432 रकबा 13–02 बीघा, खसरा नम्बर 376 रकबा 06–09 बीघा, खसरा नम्बर 518/1569 रकबा 08–13 बीघा, खसरा संख्या 1431 रकबा 12–08 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"रामस्वरूप पुत्र माधा"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"बगदाराम पुत्र माधाराम"*** दर्ज करते हुये इनके हिस्से तक बगदाराम पुत्र माधाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड जैतारण
(पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 27/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगणः–   बनाम   –: प्रतिवादीगण :–

1. नेमाराम पुत्र बगदाराम
2. छोटूलाल पुत्र बगदाराम
3. बाजूदेवी पुत्री बगदाराम
4. बाबूड़ी पत्नी बगदाराम

जातियान– जाट, निवासीगण– बस्सी, आ0कालू, तहसील– जैतारण जिला– पाली(राज0)

1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0: 52/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व सरकार पैरोकार राज0, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा बस्सी पटवार हल्का आनन्दपुर कालू द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा संख्या 1428 रकबा 12–18 बीघा, खसरा संख्या 1430 रकबा 11–06 बीघा, खसरा संख्या 1432 रकबा 13–02 बीघा, खसरा नम्बर 376 रकबा 06–09 बीघा, खसरा नम्बर 518/1569 रकबा 08–13 बीघा, खसरा संख्या 1431 रकबा 12–08 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"रामस्वरूप पुत्र माधा"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"बगदाराम पुत्र माधाराम"*** दर्ज करते हुये इनके हिस्से तक बगदाराम पुत्र माधाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्त[illegible]

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें म[illegible] ..–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी [illegible]

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के [illegible] को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01-00		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील	/	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	02-00		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः-	05-00		मिजानः-	- Nil -	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:14 IST
Reason: SelfAttested